न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 105/20 (वाद)
GCMS No. : 2020/00222

1. श्रीमती रकमाबाई पत्नी रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन नाई निवासी थामला तह. मावली।
2. श्री भूरालाल पिता रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन नाई निवासी थामला तह. मावली।
3. श्रीमती कंचन पत्नी मांगीलाल पिता रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन नाई निवासी भटेवर।
4. श्रीमती लीला पत्नी विष्णु पिता रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन नाई निवासी मोही जिला राजसमन्द।
5. श्रीमती मंजू पत्नी राजमल पिता रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन नाई निवासी चुण्डावतखेडी तह. मावली।
6. श्रीमती पिंकी पत्नी अर्जुन पिता रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन नाई निवासी घासा तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्रीमती शांता पत्नी मनोहरलाल पुत्री रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन नाई निवासी थामला तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री सूरज लौहार, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 20.12.2024

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा थामला की आराजी नम्बर 1418/3, 1418/5, 1421, 1422/3, 1433/1, 1435, 1436/3 किता 8 कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि पूर्व में हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता/पति रामचन्द्र उर्फ चन्दरलाल सेन के नाम पर दर्ज थी [illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी हक से दर्ज है और उनकी मृत्यु हो जाने पर हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर अंकित है।

2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 1435 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर हम वादीगण के पिता/पति ने एक मकान अपने कृषि औजार, कृषि फसल व चारा इत्यादि रखने व मवेशीयों आदि को बांधने के लिए बनवाया व साथ ही खेतो पर आराम करने के लिए निवास हेतु भी मकान बनाया और इसी मकान में निवास करते थे और हमारे पिता/पति की मृत्यु पश्चात् में वादी संख्या 1 श्रीमती रकमाबाई सेन जो कि स्व. रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन की विवाहिता पत्नी हूं उक्त मकान में निवास करने लगी और इसी मकान में रहकर अपनी आराजीयात की देखभाल करती हूं क्योंकि मेरी सभी पुत्रीयों का विवाह हो चुका है और सभी अपने अपने ससुराल में निवास कर रही हैं।

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 शान्ता सेन जो कि मुझ वादी संख्या 1 श्रीमती रकमाबाई सेन की जायन्दा पुत्री है और इसके पति के कोई काम धंधा नहीं होने से श्रीमती शान्ता व इसके पति मुझ वादी संख्या 1 के पास गांव थामला आये और निवेदन करने लगे कि हमारे कोई काम धंधा नहीं है इसलिए हमें यही निवास करने दो तो पुत्री होने के नाते श्रीमती शांता व इसके पति को उक्त पैतृक मकान में निवास हेतु अनुमति दे दी और श्रीमती शांता व इसके पति परिवार सहित यही निवास कर रहे हैं।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है और श्रीमती शांता व इसके पति जबरन हम वादीगण के उक्त पैतृक मकान पर अकेले कब्जा करना चाहती है और किसी अन्य को विक्रय करने पर आमादा है और इसी नियत से इन्होने जबरन हम वादीगण की गैर मौजूदगी में नाजायज तरीके से गुण्डागर्दी कर कब्जा कर लिया तथा जब से रकमाबाई पुनः अपने मकान गयी तो ये लोग गाली गलौच कर लडाई झगडा करने लगे और मुझे मकान में प्रवेश नहीं करने दिया व एलानिया धमकी दी कि हम इस पैतृक मकान पर कब्जा करके रहेगे जिसका इनको कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त मकान हम वादीगण के पिता/पति ने अपनी स्वअर्जित आय से बनाया है और इसमें प्रतिवादी संख्या 1 का मात्र 1/7 हिस्सा है और हम वादीगण का प्रत्येक का भी 1/7–1/7 हिस्सा हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबरन उक्त पैतृक मकान पर कब्जा कर पूर्व में उक्त मकान पर जो विद्युत कनेक्शन हम वादीगण के पिता/पति के नाम पर था उसे कटवाकर अपने स्वयं के नाम से विद्युत कनेक्शन ले लिया जिसकी लिखित में शिकायत भी मुझ वादी संख्या 2 भूरालाल ने सहायक अभियन्ता महोदय अजमेर विद्यतु वितरण लिगम लिमिटेड मावली में की थी। चंदरलाल सेन के नाम का विद्युत बिल व सहायक अभियन्ता को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति साथ संलग्न हैं।
6. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 कहती है कि मैने यह मकान खरीद लिया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने हमारे पति/पिता चंदरलाल से कभी भी उक्त मकान नहीं खरीदा था और न ही खरीद ही सकती है क्योंकि उक्त मकान में मैं वादी संख्या 1 पूर्व में अपने पति के साथ यही निवास करती थी और अपने पति के स्वर्गवास पश्चात् से निवास करती थी परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने जबरन कब्जा कर मुझे उक्त पैतृक मकान से बेदखल कर दिया हैं।
7. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व इसका पति उक्त आराजी नम्बर 6248/1435, 1436 खेत पर आकर खडे हरे वृक्षों की बडी बडी टहनियां काटकर चुराकर अपने घर ले गये तथा मना किया तो मारने की धमकी दी। प्रतिवादी अब उक्त पैतृक मकान पर नये सिरे से निर्माण कार्य करवा किसी अन्य को विक्रय करना चाहते है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है, इस मकान का कब्जा इसने जबरन ले लिया है वो हम वापस प्राप्त करना चाहते है तथा आराजी नम्बर 1435/1436 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा जिस पर हमारा कब्जा है उसमें प्रतिवादी संख्या 1 जबरन प्रवेश नहीं करे, ट्रेक्टर, हल नही चलवावें, खडे पेडो को नहीं कटवावे न उक्त पैतृक मकान को किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा हम वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है एवं कब्जा उक्त मकान का प्रतिवादी संख्या 1 से दिलवाया जावें। कब्जा नहीं देने की सूरत में पुलिस के माध्यम से कब्जा दिलाने का आदेश प्रदान करावें।
8. यह कि वाद कारण आज से करीब 8–9 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने हमारे उक्त पैतृक मकान पर जबरन कब्जा कर लिया तथा मरने मारने की धमकी दी, उसके बाद दिनांक 20.09.2020 को ऐलानिया धमकी दी कि में इस मकान को किसी अन्य को बेच दुंगी। इस प्रकार वाद कारण उत्पन्न होकर जारी हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

9. यह कि वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि हम उक्त वर्णित जमीन के खातेदार काश्तकार है एवं उक्त आराजी नम्बर 6248/1436 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में जो पैतृक मकान बना हुआ है उस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने कब्जा कर लिया और इसी के कब्जे में है जो हम प्राप्त करने के अधिकारी है। सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है क्योंकि उक्त पैतृक मकान पर हम वादीगण अपने पिता/पति के समय से ही निवास करते आ रहे है और यदि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त पैतृक मकान खाली नहीं करेगी और किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस कर देगी तो इससे जो क्षति हमें होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव हैं इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।
10. अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादपत्र में वर्णित आराजी नम्बर 6248/1436 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के मकान में प्रतिवादी संख्या 1 प्रवेश नहीं करे, जमीन में खडे पेडो को नहीं काटे, जमीन को नहीं हांके न अन्य से ऐसा करावे तथा व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलावें। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त हमारी खातेदारी की आराजी संख्या 6248/1435 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में बने पैतृक मकान का कब्जा सिपूर्द करवाया जावे और यदि प्रतिवादी कब्जा नहीं देवे तो पुलिस की सहायता से कब्जा दिलाया जावें।
11. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रतिवादीया का वादग्रस्त आराजीयात में नाम दर्ज होकर, मैं प्रतिवादीया रेकार्डेड खातेदार हूं। वादीगण एवं मुझ प्रतिवादीया का पैतृक मकान गांव थामला तह. मावली में स्थित है जिसके पडोस पूर्व में कालू जी सेन का मकान, पश्चिम में तनसुख जी महात्मा का प्लॉट, उत्तर में महादेव जी का मन्दिर तथा दक्षिण में आम रास्ता स्थित हैं। जिसमें वादी संख्या 1, 2 निवासरत हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में बंटवाडा तथा घोषणा नहीं करवाने कि स्थिति में वाद चलने योग्य नहीं हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित मकान कीमत मालियत वाद से अधिक होने के कारण भी उक्त वाद चलने योग्य नहीं हैं। सम्पूर्ण वाद को पढने मात्र से ही यह विदित होता है कि सम्पूर्ण वाद पत्र काल्पनिक आधारो पर ही है जो

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. में केवल मात्र अभिवचन के आधार पर ही खारिज होने योग्य है और बार्ड बाई लॉ हैं।

12. अन्त में निवेदन किया प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

13. वादीगण/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा मुकदमें को लिगर ऑन करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के अन्तर्गत आने वाले तथ्य उक्त वाद पत्र पर लागू नहीं होते हैं। वाद वर्णित मकान कृषि आराजीयात पर स्थित है जिसमें हम वादीगणों का 6/7 वां हिस्सा निहित है। हमारे हिस्से पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत कब्जा जिसके बेकब्जेयाबी हेतु दावा किया। आराजीयात कृषि भूमि होने से उक्त दावा आप न्यायालय द्वारा पोषणीय हैं।

14. यह कि वाद वर्णित आराजीयात पैतृक कृषि भूमि है जिस वजह से उक्त वाद आप न्यायालय में निर्धारित न्याय शुल्क अन्दर अवधि मयाद प्रस्तुत हैं।

15. यह कि उक्त वाद हम वादी के कब्जे से बेकब्जेयाबी हेतु दावा पेश किया हैं। बंटवाडा हेतु वाद प्रस्तुत नहीं किया हैं। न्याय शुल्क की अवधारणा प्रतिवादी द्वारा नहीं किया हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हेवी कॉस्ट पर खारिज फरमाया जावें।

16. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी/वादीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

17. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है—**वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

18. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला तह. मावली हाल घासा के खाता संख्या 441 पर दर्ज आराजी नम्बर 1418/3, 1418/5, 1421, 1422/3, 1433/1, 1434/1, 1435, 1436/3 किता 8 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। इस प्रकार वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् सहखातेदार के विरूद्व ही पेश किया गया हैं। **कानून की स्थिति स्पष्ट है कि एक सह–अभिधारी (संयुक्त) जोत के प्रत्येक इंच के कब्जे में माना जाता है और उसके विरूद्व कोई व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता हैं। यह विचार आर.आर.डी. 88 द्वारा समर्थित है, जिसमें अस्थायी व्यादेश की स्वीकृति और उक्त प्रश्न पर विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि–सह–अभिधारियों के मामले में, एक व्यथित सह–अभिधारी को विभाजन (बंटवारे) का एक सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त बीरबल बनाम रामसुख 1976 आर.आर.डी. 222 में भी स्पष्ट किया गया है कि एक सह–अभिधारी अपने भाई (सह–अभिधारी) के विरूद्व धारा 188 के अधीन स्थायी व्यादेश के लिए वाद नहीं ला सकता, क्योंकि सिद्धान्त में प्रत्येक पक्षकार वाद–भूमि के प्रत्येक इंच के कब्जे में रहता है। अतः एक सह अभिधारी को अन्य सह अभिधारियों को कब्जे से हटाने का कोई अधिकार नहीं हैं।** उक्त प्रकरण में भी प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त भूमि की सहखातेदार हैं और

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

फिर भी अप्रार्थी/वादीगण द्वारा सहखातेदार के विरूद्व कब्जे से बेदखल एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया हैं, जो उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्तो के आधार पर चलने योग्य नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात एवं नजीरों के आधार पर वादीगण का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती रकमाबाई पत्नी रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन नाई निवासी थामला तह. मावली।
2. श्री भूरालाल पिता रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन नाई निवासी थामला तह. मावली।
3. श्रीमती कंचन पत्नी मांगीलाल पिता रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन नाई निवासी भटेवर।
4. श्रीमती लीला पत्नी विष्णु पिता रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन नाई निवासी मोही जिला राजसमन्द।
5. श्रीमती मंजू पत्नी राजमल पिता रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन नाई निवासी चुण्डावतखेडी तह. मावली।
6. श्रीमती पिंकी पत्नी अर्जुन पिता रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन नाई निवासी घासा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्रीमती शांता पत्नी मनोहरलाल पुत्री रामचन्द्र उर्फ चंदरलाल सेन नाई निवासी थामला तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 105/20 (वाद) GCMS No. : 2020/00222

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.12.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested